163

-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

A351-I-17

अपील कमांक /2017 जिला जबलपुर

झुन्नीलाल गौंड़ पिता स्व. श्री सुन्दरीलाल गौंड़
निवासी ग्राम नान्हाखेड़ा तहसील
व जिला जबलपुर म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्ध

1– श्री राकेश अवस्थी पिता
शिवरतन अवस्थी निवासी म.नं. 1591,
नवनिवेश कॉलोनी, गंगानगर, गढ़ा
जबलपुर

2– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

.... अनावेदक

अपील अंतर्गत धारा 35 (4) म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 न्यायालय कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 87/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 23–1–2017 के विरूद्ध.

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि –

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किए जाने योग्य है ।

2– यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम नान्हाखेड़ा प.ह.नं. 36/26 रा.नि.मं. जबलपुर, तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 94/1, 94/2, 104/1, 104/2, 106/2/2 रकबा कमशः 0.94, 0.36, 012, 0.13 एवं 0.41 हैक्टर कुल रकबा 1.960 हैक्टर स्थित है ।

3– यहकि, आवेदक ने उक्त भूमि को आवेदक की दूसरी जमीन की तरीके, रहवास के लिए पक्का मकान बनाने एवं बच्वें के भविष्य तथा जमीन कय करने हेतु ली गई उधारी को वापिस हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से उक्त भूमि को अनावेदक कमांक 1 गैर आदिवासी को विकय करना उचित

YXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – अपील-351-एक/17 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-2-17	यह अपील कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 87/अ–21/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 23–1–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 35(4) के तहत प्रस्तुत की गई है । 2– अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया । यह प्रकरण भूमि विकय की अनुमति से संबंधित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 23–1–17 को अदम पैरवी में निरस्त किया गया है । आवेदक द्वारा बताए गए आधारों को देखते हुए न्यायहित में यह पाया जाता है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । 3– प्रकरण के गुणदोषों के संबंध में आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें अपीलार्थी द्वारा ग्राम नान्हाखेड़ा प.ह.नं. 36/26 रा.नि.मं. जबलपुर, तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 94/1, 94/2, 104/1, 104/2 एवं 106/2/2 रकबा कमशः 0.94, 0.36, 012, 0.13 एवं 0.41 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य प्रत्यर्थी कमांक – 1 को विकय करने की अनुमति देने हेतु अनुरोध किया गया है । प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि विकय हेतु आवेदित भूमि अपीलार्थी की कय की गई भूमि है, शासन से प्राप्त भूमि	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	नहीं है । चूंकि अपीलार्थी आदिम जनजाति का सदस्य है, इस कारण उसके द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है । अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि केता द्वारा उसे वर्तमान वर्ष की गाइड लाइन से अधिक मूल्य दिया जा रहा है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि को विक्रय करने की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन प्रतीत नहीं होती है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात जिलाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–11–16 निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को उसके स्वामित्व की ग्राम नान्हाखेड़ा प.ह.नं. 36/26 रा.नि.मं. जबलपुर, तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 94/1, 94/2, 104/1, 104/2 एवं 106/2/2 रकबा कमशः 0.94, 0.36, 012, 0.13 एवं 0.41 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य प्रत्यर्थी कमांक 1 को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है । 1– यदि प्रस्तावित केता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2– केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) अपीलार्थी के खाते में जमा की जायेगी । अपील तदनुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर	